राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/Cyber Treasury/2024/ 4918 दिनांक 08/11/2024

परिपत्र

विषयः– SNA-SPARSH IFMS 3.0 के अतर्गत DMFT की कटौतियो के संबंध में दिशा–निर्देश।

SNA-SPARSH पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत वेण्डर्स को किये जा रहे भुगतानों में जिनमें DMFT (District Mineral Foundation Trust) की कटौती किया जाना अनिवार्य होता है। DMFT की कटौती राशि संबंधित जिला कोषालयों में संधारित किये जा रहे DMFT पी.डी. खाते में जमा होती है। SNA-SPARSH स्कीमों के बिल स्टेट साईबर ट्रेजरी से पारित किये जाने पर DMFT की कटौती राशि को विभिन्न कोषालयों में संधारित किये जा रहे DMFT पी.डी. खातों में हस्तान्तरण किये जाने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जावे :–

1. DMFT कटौती वाले बिल के भुगतान होने तथा उसका TV Number Generate होने के पश्चात् DMFT की कटौती राशि का समायोजन स्टेट साईबर ट्रेजरी (स्कीम्स) द्वारा 8782-101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से किया जाएगा।
2. स्टेट साईबर ट्रेजरी (स्कीम्स) द्वारा दिनांकवार तथा कोषालयवार स्वीकृति जारी की जाएगी। यह स्वीकृति सिस्टम/ई–मेल से संबंधित कोषालय को दैनिक आधार पर उपलब्ध होगी। इस स्वीकृति में पी.डी. खाते से संबंधित लेखा मद को डेबिट तथा 8782-101 मद को क्रेडिट किया जाएगा।
3. स्टेट साईबर ट्रेजरी (स्कीम्स) द्वारा स्वीकृति जनरेट करते ही वह संबंधित कोषालय को सूची सहित प्रदर्शित होगी। इस सूची में पी.डी. खातों (जिन्हें क्रेडिट किया जाना है) का विवरण राशि सहित होगा।
4. संबंधित कोषालय द्वारा 8782-101 मद को माइनस क्रेडिट तथा संबंधित पी.डी. खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रक्रिया हेतु स्वीकृति एवं वाऊचर जनरेट करने की सुविधा सिस्टम पर होगी।
5. IFMS में मासिक लेखे तैयार करते समय संबंधित कोषालय को सिस्टम से DMFT कटौती राशि की सूची उपलब्ध होगी। जिसमें 8782-101 मद से पी.डी. खातों में क्रेडिट की जानी वाली राशि का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

6. IFMS में यह सुविधा उपलब्ध होगी कि लेखा मद 8782-101 में उपलब्ध बैलेंस को क्लियर किए जाने पर ही संबंधित कोषालय के मासिक लेखों का कवरिंग लैटर सिस्टम से जनरेट किया जा सके।

7. उपरोक्त प्रक्रिया हेतु महालेखाकार कार्यालय एवं स्टेट साईबर कोषालय के लिए सिस्टम पर सभी आवश्यक रिपोर्ट्स भी उपलब्ध होगी।

8. महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रतिमाह 8782-101 मद का अंकमिलान (reconciliation) किया जाता है। संबंधित कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेट साईबर कोषालय द्वारा पारित बिलों से DMFT की कटौती राशि के पेटे 8782-101 मद में स्थानान्तरित राशि किसी भी अवस्था में असमायोजित (Unsettled) न रहे एवं इस राशि का समायोजन महालेखाकार कार्यालय में 8782 बजट मद में उसी तारीख व माह में हो जिसमें स्टेट साईबर कोषालय द्वारा टी.वी. नम्बर जारी किया गया है।

9. यह प्रक्रिया अन्य मदों जिसमें 8782–101 के उपयोग की आवश्यकता हो (यथा 8443–108, 109 इत्यादि) के लिए भी साईबर कोष से सम्बद्ध होगी।

10. उपरोक्त दिशा–निर्देश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 602400258 दिनांक 15.10.2024 से अनुमोदित है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ—75)डीटीए / IFMS/Cyber Treasury/2024/ 4918 दिनांक 08/11/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव SNA-SPARSH स्कीम विभाग।
3. विभागाध्यक्ष SNA-SPARSH स्कीम विभाग।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (SNA-SPARSH), एल.आई.सी. भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सिस्टम में परिपत्र के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (ट्रेजरी), एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

ए—ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752